

## अध्याय I

### प्रत्यक्ष कर प्रशासन

#### 1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों से संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। तालिका 1.1 संघ सरकार की प्राप्तियों का सारांश प्रस्तुत करती है, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 53,67,988.99 करोड़<sup>1</sup> है। इसमें से, इसकी स्वयं की प्राप्तियाँ ₹ 10,36,460.45 करोड़ की सकल कर प्राप्तियाँ सहित ₹ 13,99,951.05 करोड़ थीं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन	(₹ करोड़ में)
क. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	13,47,437.62
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	5,58,989.47
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	4,77,470.98
iii. सहायता अनुदान एवं अंशदान सहित गैर-कर प्राप्तियाँ	3,10,977.17
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	25,889.80
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	26,623.63
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	39,68,037.94
<b>भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)</b>	<b>53,67,988.99</b>
टिप्पणी: कुल राजस्व प्राप्तियाँ में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों का ₹ 2,91,546.61 करोड़ का हिस्सा शामिल है।	

#### 1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उद्ग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यतः शामिल हैं:

- कम्पनियों तथा व्यापारी संगठनों की आय पर उद्ग्रहीत **निगम कर**
- व्यक्तियों, कम्पनियों के अतिरिक्त, नामतः व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवारों (एचयुएफज), फर्मों, सहकारी समितियों, न्यासों, व्यष्टियों के निकायों, व्यक्ति संघों तथा किसी की आवासीय स्थिति के आधार पर प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की आय पर उद्ग्रहीत **आयकर**।

<sup>1</sup> स्रोत: वित्तीय वर्ष 2012-13 के संघ वित्त लेखे। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष 2012-13 के संघ वित्त लेखों के आधार पर तैयार किए गये हैं।

1.2.2 अन्य प्रत्यक्ष करों में धनकर<sup>2</sup>, प्रतिभूति लेनदेन कर<sup>3</sup> आदि शामिल है। इन में फ्रिज बेनिफिट टैक्स, बैंकिंग नगद लेनदेन कर, व्यय कर, ब्याज कर, होटल प्राप्तियाँ कर तथा सम्पदा शुल्क भी शामिल हैं, जो सभी अब समाप्त कर दिए गए हैं।

1.2.3 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन	(₹ करोड़ में)				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	3,33,857	3,77,594	4,45,995	4,93,987	5,58,989
2. प्रभावी निर्धारिती (लाख में)	326.5	340.9	335.8	363.5	373.8
3. पूर्व निर्धारण संग्रहण	3,02,341	3,51,660	4,18,094	4,77,853	5,25,918
4. पश्च निर्धारण संग्रहण	56,188	73,053	95,804	1,01,646	1,11,014
5. पूर्ण हुए संवीक्षा निर्धारण (संख्या में)	5,38,505	4,29,585	4,55,212	3,69,320	3,08,398
6. लम्बित संवीक्षा निर्धारण (संख्या में)	4,15,262	4,41,035	3,91,983	4,05,487	2,85,363
7. लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावे (लाख में)	15.5	19.4	19.5	12.5	11.2
8. प्रतिदाय	39,097	57,101	75,169	93,814	83,766
9. प्रतिदाय पर ब्याज	5,778	6,876	10,499	6,486	6,666
10. लम्बित मांग	2,01,276	2,29,032	2,91,629	4,08,418	4,86,180
11. सीआईटी (ए) के पास लम्बित अपीलें (संख्या में)	1,58,031	1,80,991	1,87,182	2,30,616	1,99,390
12. प्रमाणित लम्बित मांग	27,461	95,122	1,06,991	1,13,532	1,53,818

स्रोत: क्र.सं. 1-संघ वित्त लेखे, क्रम सं. 2, 5, 6, 7, 9, 11 और 12-महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), क्रम सं. 3, 4 और 8-प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं. 10-आयकर निदेशालय (ओ एवं एमएस)।

कर प्रशासन को विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

### 1.3 बोर्ड के कार्य एवं उत्तरदायित्व

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उसी प्रकार, यह आयकर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आयकर विभाग प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण गौर संग्रहण से

2 निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम की धारा 2(ईए) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियाँ शामिल हैं।

3 भारत में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई करयोग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर। तथापि, निर्धारण वर्ष 2009-10 से धारा 88ई के अन्तर्गत कोई छूट अनुमत नहीं है।

संबंधित मामलों के साथ साथ कर अपवंचन, राजस्व आसूचना, कर आधार बढ़ाने, कर दाताओं को सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र के मामलों से संबंधित है। परिशिष्ट 2 में डीओआर/सीबीडीटी के प्रमुख कार्यों, भूमिका और उत्तरदायित्वों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है।

आईटीडी की कुल कर्मचारी संख्या 57,793<sup>4</sup> है। आयकर विभाग के अधिकारियों<sup>5</sup> की संस्वीकृत तथा कार्यरत संख्या 31 मार्च 2013 को क्रमशः 8,646 तथा 7,493 थी। सीबीडीटी, उसके सम्बद्ध कार्यालय और क्षेत्रीय संरचनाओं का संगठनात्मक ढाँचा परिशिष्ट 3 में दर्शाया गया है।

#### 1.4 प्रत्यक्ष करों की वृद्धि - प्रवृत्तियाँ एवं रचना

1.4.1 निम्न तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्रत्यक्ष कर (प्र. क.) की सापेक्षिक वृद्धि दर्शाती है। हमने पाया कि सकल कर प्राप्तियाँ<sup>6</sup> (जीटीआर) के प्रति प्रत्यक्ष करों का हिस्सा इस अवधि के दौरान 55.16 प्रतिशत से घटकर 53.93 प्रतिशत हो गया। तथापि, इसी अवधि के दौरान प्र. क. 67.43 प्रतिशत तक बढ़ गया। प्रत्यक्ष करों ने अभी भी एक प्रभावी स्थिति बनाए रखी जो देश में एक मजबूत प्रतीक तथा प्रगतिशील कर प्रणाली का सूचक है।

तालिका 1.3: प्रत्यक्ष कर की वृद्धि					(₹ करोड़ में)	
वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	जीटीआर	जीटीआर के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर	
2008-09	3,33,857	6,05,298	55.16	56,30,063	5.93	
2009-10	3,77,594	6,24,527	60.46	64,77,827	5.83	
2010-11	4,45,995	7,93,307	56.22	77,95,314	5.72	
2011-12	4,93,987	8,89,118	55.56	90,09,722	5.48	
2012-13	5,58,989	10,36,460	53.93	1,01,13,281	5.53	

स्रोत: प्र. क. और जीटीआर - संघ वित्त लेखे, जीडीपी - प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रेस नोट, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ), सांख्यिकी मंत्रालय। 7 फरवरी 2014 के प्रेस नोट से पता चलता है कि वर्ष 2011-12 के लिए मौजूदा कीमतों/बाजार कीमतों पर जीडीपी के लिए आँकड़े दूसरे संशोधित अनुमान हैं और वर्ष 2012-13 के लिए पहला संशोधित अनुमान हैं। आँकड़े आधार वर्ष 2004-05 के मौजूदा बाजार कीमतों पर आधारित हैं। आँकड़ों को सीएसओ द्वारा निरन्तर संशोधित किये जा रहे हैं ये आँकड़े और वृहद आर्थिक निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की संकेतिय तुलना के लिए हैं।

4 इसको सरकार द्वारा 23.5.2013 को विभाग की संवर्ग पुनर्गठन के अनुमोदन के बाद 78,544 तक पुनरीक्षित कर दिया गया है।

5 सीसीआईटी/डीजीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अतिरिक्त सीआईटी/डीआईटी, जेसीआईटी/जेडीआईटी, डीसीआईटी/डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओज़।

6 इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित हैं।

1.4.2 निम्न तालिका 1.4 वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्रत्यक्ष करों और अपने प्रमुख संघटकों जैसे निरपवाद रूप से निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को दर्शाती है। इस अवधि के दौरान सीटी और आईटी की औसत दर क्रमशः 16.74 प्रतिशत और 21.39 प्रतिशत थी। परिशिष्ट 4 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के लिए कारपोरेट और गैर-कारपोरेट निर्धारितियों के लिए कराधान दर दर्शाता है।

तालिका 1.4: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की ओर इसके मुख्य संघटकों की वृद्धि (₹ करोड़ में)						
वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	सीटी	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	आईटी	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2008-09	3,33,857	6.93	2,13,395	10.62	1,06,075	3.33
2009-10	3,77,594	13.10	2,44,725	14.68	1,22,417	15.41
2010-11	4,45,995	18.12	2,98,688	22.05	1,39,102	13.63
2011-12	4,93,987	10.76	3,22,816	8.08	1,64,525	18.28
2012-13	5,58,989	13.16	3,56,326	10.38	1,96,843	19.64

1.4.3 नीचे तालिका 1.5 और 1.6, निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में विभिन्न तरीकों {स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, नियमित निर्धारण कर} के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संग्रहण की वृद्धि दर्शाती है। अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर तथा टीडीएस के माध्यम से संग्रहण, मोटे तौर पर प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन की डिग्री का सूचक है। नियमित निर्धारण विधि के माध्यम से किया गया कर संग्रहण निर्धारण पर होता है।

1.4.4 तालिका 1.5 दर्शाती है कि कुल कारपोरेट संग्रहण का अग्रिम कर वि.व. 2011-12 में 52.47 प्रतिशत से बढ़ कर वि.व. 2012-13 में 55.33 प्रतिशत हो गया। कुल कारपोरेट संग्रहण के टीडीएस में वि.व. 2011-12 में 23.10 प्रतिशत से वि.व. 2012-13 में 17.73 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, कुल कारपोरेट संग्रहण का नियमित निर्धारण कर वि.व. 2011-12 में 10.05 प्रतिशत से बढ़ वि.व. 2012-13 में 12.82 प्रतिशत हो गया था।

तालिका 1.5: कारपोरेट निर्धारितियों का संग्रहण (₹ करोड़ में)					
वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	संग्रहण
2008-09	60,088	1,22,697	18,451	12,633	2,42,304
2009-10	60,850	1,48,791	20,159	24,995	2,88,162
2010-11	68,313	1,84,263	23,056	41,916	3,55,266
2011-12	91,974	2,08,886	13,632	40,030	3,98,116
2012-13	74,481	2,32,467	18,731	53,874	4,20,147



टिप्पणी: उपरोक्त आँकड़े संबंधित वर्षों के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आँकड़े में अधिभार और उपकर सहित अन्य प्राप्तियाँ भी शामिल हैं।

1.4.5 तालिका 1.6 दर्शाती है कि टीडीएस संग्रहण वि.व. 2011-12 में कुल गैर-कॉरपोरेट संग्रहण के 58.83 प्रतिशत से बढ़ कर वि.व. 2012-13 में 62.81 प्रतिशत हो गया। अग्रिम कर वि.व. 2011-12 में कुल गैर-कॉरपोरेट संग्रहण के 23.51 प्रतिशत से घट कर वि.व. 2012-13 में 19.99 प्रतिशत हो गया। तथापि, नियमित निर्धारण कर वि.व. 2011-12 में कुल गैर-कॉरपोरेट संग्रहण के 6.33 प्रतिशत से घट कर वि.व. 2012-13 में 3.94 प्रतिशत हो गया।

तालिका 1.6: गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों का संग्रहण (₹ करोड़ में)					
वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	संग्रहण
2008-09	68,142	20,635	12,328	8,704	1,16,225
2009-10	84,885	24,626	12,349	8,279	1,36,551
2010-11	1,00,356	28,275	13,831	9,922	1,58,632
2011-12	1,06,705	42,640	14,016	11,482	1,81,383
2012-13	1,36,173	43,327	20,739	8,544	2,16,785

टिप्पणी: उपरोक्त आँकड़े संबंधित वर्षों के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आँकड़ों में अधिभार और उपकर सहित अन्य प्राप्तियाँ भी शामिल हैं।

1.4.6 नीचे चार्ट 1.1 और 1.2, वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में पूर्व निर्धारण और पश्च निर्धारण संग्रहण दर्शाता है।




1.4.7 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में स्वैच्छिक अनुपालन से कुल संग्रहण में 83.1 प्रतिशत से 77.5 प्रतिशत की कमी आई। तथापि, इसी अवधि के दौरान गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के कुल संग्रहण में 87.0 प्रतिशत से 92.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

## 1.5 प्रत्यक्ष कर की बजटिंग

**1.5.1** बजट सरकार की दूरदर्शिता एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और इन राजस्वों से किए गए व्यय शामिल हैं। बजट प्राक्कलनों की तदनुसूची वास्तविक संग्रहण से तुलना राजकोषीय विवेक की गुणवत्ता का संकेतक है। चार्ट 1.3 बजट प्राक्कलनों (बीई), संशोधित प्राक्कलनों (आरई) तथा प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण दर्शाता है।

**1.5.2** प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण वि.व. 2009-10 तथा वि.व. 2010-11 में बजट प्राक्कलनों से बढ़ गया था। बजट प्राक्कलनों से बढ़े हुए वास्तविक संग्रहण की सीमा वित्तीय वर्ष 2009-10 में 2.05 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2010-11 में 3.72 प्रतिशत के बीच थी। संशोधित प्राक्कलन सभी वर्षों में उचित पाये गए थे क्योंकि वास्तविक संग्रहण में परिवर्तन संशोधित संग्रहणों के (-) 3.23 प्रतिशत से शून्य प्रतिशत के बीच रहा। निम्न तालिका 1.7 विवरण दर्शाती है।



तालिका 1.7: वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान (₹ करोड़ में)							
वित्तीय वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक	वास्तविक माइनस बीई	वास्तविक माइनस आरई	बीई के प्रतिशत के रूप में अन्तर	आरई के प्रतिशत के रूप में अन्तर
2008-09	3,65,000	3,45,000	3,33,857	(-) 31,143	(-) 11,143	(-) 8.53	(-) 3.23
2009-10	3,70,000	3,87,008	3,77,594	7,594	(-) 9,414	2.05	(-) 2.43
2010-11	4,30,000	4,46,000	4,45,995	15,995	(-) 5	3.72	Zero
2011-12	5,32,651	5,00,651	4,93,987	(-) 38,664	(-) 6,664	(-) 7.26	(-) 1.33
2012-13	5,70,257	5,65,835	5,58,989	(-) 11,268	(-) 6,846	(-) 1.98	(-) 1.21

टिप्पणी: बीई ओर आरई आँकड़े संबंधित प्राप्त बजट के अनुसार हैं और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार हैं।

## 1.6 प्रतिदायों पर ब्याज का गलत लेखांकन

**1.6.1** ब्याज भुगतान<sup>7</sup> भारत की समेकित निधि पर एक प्रभार है और इसलिए यह उचित बजटीय तंत्र के माध्यम से देय है। तदनुसार, लघु शीर्ष “प्रतिदायों पर ब्याज” को मुख्य शीर्ष “2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण” के अधीन संचालित करना होता है। तथापि, वि.व. 2012-13 के लिए “प्रतिदाय पर ब्याज” के लिए कोई बजट प्रावधान बजट अनुमानों में नहीं किया गया था और प्रतिदायों पर ब्याज पर ₹ 6,666 करोड़ के व्यय को राजस्व में कटौती के रूप में माना गया था। प्रतिदाय पर ब्याज का राजस्व में कटौती के रूप में लेखांकन गलत है क्योंकि इस ब्याज को कभी भी संग्रहीत नहीं किया गया था।

पैराग्राफ<sup>8</sup> की जाँच करते समय पीएसी भी सीएजी के इस दृष्टिकोण से सहमत हुई कि ब्याज व्यय की एक मद है और इसे सकल कर संग्रहण से कम नहीं किया जाना चाहिए। पीएसी ने अपनी 96वीं रिपोर्ट (फरवरी 2014) में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग को संवैधानिक प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करने हेतु जोर दिया। समिति ने यह भी इच्छा जताई कि “राजस्व विभाग क्रमशः अनुच्छेद 114, 115(1)(क) और 115(1)(ख) के अन्तर्गत कर प्रतिदायों पर ब्याज भुगतान के लिए प्रत्याशित या पूर्वव्यापी संसदीय अनुमोदन प्राप्त करें।”

## 1.7 कर व्यय

**1.7.1** किसी कर प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों की निधिपूर्ति हेतु आवश्यक राजस्वों को बढ़ाना है। बढ़ी हुई राजस्व की राशि काफी हद तक कर आधार और कर दरों से निर्धारित की जाती है। उपायों की श्रेणियाँ-विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, कमी, स्थगन और क्रेडिट, जो कर के स्तर और आबंटन को प्रभावित करते हैं, भी इसका एक कार्य है। इन उपायों को “कर अधिमान” कहा जाता है।

**1.7.2** अन्य बातों के साथ-साथ आयकर अधिनियम, व्यष्टियों द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कर अधिमानों, निर्यातों, संतुलित क्षेत्रीय विकास; संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन; वैज्ञानिक शोध और विकास; सहकारी क्षेत्र और पूँजी निवेश हेतु त्वरित मूल्यहास का प्रावधान करता है। इनमें से

7 हमने पहले 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में टिप्पणी की थी कि सरकार प्रतिदाय पर दिये गये ब्याज के लिए लेखांकन की गलत प्रक्रिया का पालन कर रही है।

8 संघ सरकार-संघ सरकार (सिविल) के लेखे 2011-12 की रिपोर्ट सं. 1 का पैराग्राफ सं. 4.1.1

अधिकतर कर लाभों को कारपोरेट और गैर-कारपोरेट दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

**1.7.3** वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003, केन्द्र सरकार से जनहित में अपने वित्तीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और, यथा सम्भव, वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने और अनुदानों की मांग में गोपनीयता को न्यूनतम करने को सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों की अपेक्षा करता है। 13वें वित्त आयोग ने भी कर व्यय की गणना और इसके प्रकटन में अधिक पारदर्शी पद्धति अपनाने की सिफारिश की थी।

**1.7.4** संघीय प्राप्ति बजट वि.व. 2005-06 से कर व्यय के विवरण को दर्शाता है जिसमें केवल कुछ प्रमुख करों का अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमान हाल के वर्षों में कारपोरेट और गैर कारपोरेट निर्धारितियों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाईल की गई विवरणियों पर आधारित हैं। कर छूटों के आधार पर छोड़ा गया राजस्व वर्षों से निश्चित (वि.व. 2010-11 को छोड़कर) रूप से बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में कर व्यय, प्रत्यक्ष कर और जीटीआर में गिरावट आ रही है जैसाकि तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: कर व्यय (₹ करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	कुल कर व्यय	निम्नलिखित के प्रतिशत के रूप में कर व्यय		
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर
2008-09	1,04,471	1.86	31.29	17.26
2009-10	1,18,023	1.82	31.26	18.90
2010-11	94,738	1.22	21.24	11.94
2011-12	1,01,140	1.12	20.47	11.38
2012-13	1,13,466	1.12	20.30	10.95

टिप्पणी: कर व्यय के आँकड़े प्राप्ति बजट के अनुसार हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए छोड़े गए राजस्व के आँकड़े प्रक्षेपित हैं।

**1.7.5** ऐसे छोड़े गए राजस्व के प्रभाव के परिणामों की निगरानी करने के लिए राजस्व विभाग में कोई तंत्र नहीं है। राजस्व विभाग ने कर बढ़ोतरी, जिसे बजट में दर्शाया गया था, के कारण छोड़े गए राजस्व का अनुमान लगाने का वार्षिक कार्य किया। राजस्व विभाग के अनुसार विशेष सैक्टर/क्षेत्र पर ऐसे छोड़े गए राजस्व के प्रभाव के परिणामों की निगरानी, संबंधित मंत्रालयों द्वारा की जानी है और वे उद्देश्यों की प्राप्ति पर नियमित फीडबैक नहीं दे रहे हैं। यहाँ कर व्ययों की दक्षता और प्रभावकारिता की आवधिक रूप से जाँच/निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जोखिम शामिल है।



**1.7.6** तथापि, वि.व. 2012-13 या पिछले वर्षों के दौरान आयकर विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं की लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने उन लाभार्थियों को कर छूटों के लाभों का अनियमित रूप से विस्तारण किया है जो इसके हकदार नहीं हैं। ब्यौरों को अध्याय III और IV में क्रमशः पैराग्राफ 3.3.1 और 4.3.1 में दिया गया है। इन मामलों में हमने कारपोरेट निर्धारितियों, जिन्होंने ₹ 1,005.48 करोड़ की अयोग्य रियायतों/छूटों/कटौतियों को प्राप्त किया, से संबंधित 146 मामलों और नोन-कारपोरेट निर्धारितियों, जिन्होंने कुल ₹ 80.06 करोड़ का लाभ प्राप्त किया, के 35 मामलों को देखा।

**1.7.7** प्रभावकारी कर दर (ईटीआर) सभी कर व्ययों को प्राप्त करने के बाद, कारपोरेट निर्धारितियों पर भार की दर है। कम्पनियों के लिए ईटीआर, प्राप्ति बजट 2013-14 में दर्शाए गए 32.44 प्रतिशत की सांविधिक कर दर के प्रति वि.व. 2011-12 में 22.85 प्रतिशत (वि.व. 2010-11 में 24.10 प्रतिशत से नीचे) थी।

## **1.8 कर आधार का विस्तारण और गहनता**

**1.8.1** विभाग के पास निर्धारित आधार को बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं, जिसमें सर्वेक्षण, दूसरे कर विभागों के साथ सूचना साझा करना और वार्षिक जानकारी विवरणियों में उपलब्ध तीसरे पक्ष की जानकारी शामिल है। स्वचलन ने भी क्रॉस लिंकिंग<sup>9</sup> को अधिक सरल बनाया है। इन तंत्रों में से अधिकतर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर उपलब्ध हैं। आयकर विभाग ने भी पिछले एक दशक के दौरान प्रमुख आईटी पहलों का उत्तरदायित्व लिया है जिनका कर आधार के विस्तारण और गहनता के लिए लाभ उठाया जा सकता था।

<sup>9</sup> ई-टीडीएस से टीडीएस विवरणियों के गैर दाखिलकर्ता, बड़े निगमों और गैर-कारपोरेट कटौतीकर्ता द्वारा जमा टीडीएस के वार्षिक तुलनात्मक आँकड़ों, उनके द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु टीएएन डॉटा का मिलान करना, पैन डॉटा आधार के साथ कर विवरणियों का मिलान और कटौतीदाता की विवरणी के साथ टीडीएस कटौतियों पर कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरणी के मिलान संबंधी जानकारी।

1.8.2 निम्नलिखित तालिका 1.9 और 1.10 विभिन्न श्रेणियों में गैर-कारपोरेट और कारपोरेट निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: गैर-कारपोरेट निर्धारिती						(आँकड़े लाख में)
वित्तीय वर्ष	क <sup>10</sup>	ख <sup>11</sup>	ख <sup>12</sup>	ग <sup>13</sup>	घ <sup>14</sup>	कुल
2008-09	278.36	31.15	10.93	2.67	0.12	323.23
2009-10	283.72	35.64	14.58	3.11	0.12	337.17
2010-11	271.29	38.36	17.78	4.49	0.12	332.04
2011-12	267.68	60.26	21.23	6.57	1.87	357.61
2012-13	276.13	58.21	23.94	6.59	3.00	367.87

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तन्त्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

तालिका 1.10: कारपोरेट निर्धारिती							(आँकड़े लाख में)			
वित्तीय वर्ष	क <sup>15</sup>	ख <sup>16</sup>	ख <sup>17</sup>	ग <sup>13</sup>	घ <sup>14</sup>	कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती	31 मार्च के अनुसार कार्यरत कम्पनियाँ	तक	
2008-09	1.67	0.59	0.48	0.51	0.03	3.28	0.07	7.50		
2009-10	1.84	0.65	0.61	0.56	0.02	3.68	0.09	8.40		
2010-11	1.69	0.76	0.67	0.62	0.02	3.76	0.22	7.20		
2011-12	2.95	0.91	0.96	1.00	0.03	5.85	0.14	8.01		
2012-13	3.05	0.97	0.83	1.02	0.03	5.90	0.14	8.84		

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तन्त्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.8.3 गैर-कारपोरेट निर्धारितियों के आधार<sup>18</sup> की औसत वार्षिक वृद्धि वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान कारपोरेट निर्धारितियों के आधार के संबंध में 19.97 प्रतिशत के प्रति समान अवधि के दौरान 3.45 प्रतिशत थी। श्रेणी 'ग' के गैर-कारपोरेट निर्धारितियों की संख्या वि.व. 2008-09 में 2.67 लाख से वि.व. 2012-13 में 6.59 लाख हो गई थी। तथापि, कारपोरेट निर्धारितियों की संख्या में समान अवधि के दौरान 0.51 लाख से 1.02 लाख तक बढ़ोतरी हुई। ₹ 25 लाख से अधिक की आय वाले कारपोरेट निर्धारितियों की संख्या वि.व. 2010-11 में 0.22 लाख से वि.व. 2012-13 में 0.14 लाख तक कम हुई। कारपोरेट निर्धारितियों की

10 श्रेणी "क" निर्धारिती- ₹ दो लाख से नीचे आय/हानि का निर्धारण।

11 श्रेणी "ख" निर्धारिती (कम आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ पाँच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण।

12 श्रेणी "ख" निर्धारिती- ₹ पाँच लाख और उससे अधिक लेकिन ₹ 10 लाख से कम और इससे अधिक आय/हानि का निर्धारण।

13 श्रेणी "ग" निर्धारिती- ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/ हानि के साथ निर्धारण।

14 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण।

15 श्रेणी "क" निर्धारिती-₹ 50,000 से कम आय/हानि का निर्धारण।

16 श्रेणी "ख" निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ 50,000 और अधिक परन्तु ₹ पाँच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण।

17 श्रेणी "ख" निर्धारिती (उच्च आय समूह)- ₹ पाँच लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ 10.00 लाख से कम आय/हानि का निर्धारण।

18 स्रोत: निदेशालय आयकर (विधिक एवं शोध), शोध एवं सांख्यिकी विंग

संख्या (5.90 लाख) कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसीज़)<sup>19</sup> में पंजीकृत कम्पनियों की संख्या (8.84 लाख) से भिन्न है। विभाग इन भिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करने में विफल रहा।

## 1.9 निर्धारण से बचने वाली आय

**1.9.1** कोई सुदृढ़ कर प्रशासन प्रणाली निर्धारितियों द्वारा कर के अपवंचन को रोकने, राजस्व के सर्वोत्तम हित में कर प्राप्तियों के निर्धारण हेतु सकारात्मक उपाय करने के लिए लक्षित होती है और यह कर मुक्त या कम कर देने वाले निर्धारितियों को इसकी परिधि में लाने के लिए कर आधार को विस्तारित और सघन करने का प्रयास करती है। वि.व. 2012-13 की हमारी अनुपालन रिपोर्ट में हमने कई मामले देखे, जहां विभाग की तरफ से ऐसे प्रयासों में कमी पाई गई थी।

**1.9.2** हमने कारपोरेट निर्धारितियों, जिनकी आय का ₹ 251.80 करोड़ के कर प्रभाव के साथ निर्धारण नहीं/कम निर्धारण हुआ था, के 36 मामले और गैर-कारपोरेट निर्धारितियों, जिनकी आय का ₹ 29.10 करोड़ के कर प्रभाव के साथ निर्धारण नहीं/कम निर्धारण हुआ था, के 47 मामले सूचित किए हैं। ब्यौरों को अध्याय III और IV में क्रमशः पैराग्राफ 3.4.1 और 4.4.1 में दिया गया है। इसके अलावा, हमने अनुपालन लेखापरीक्षा में ₹ 1,118.14 करोड़ (पैराग्राफ 2.5.4, परिशिष्ट 8 देखें) के कर प्रभाव के साथ वि.व. 2012-13 के दौरान टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक के 1,103 मामलों देखे, जो कर निर्धारण से बचने वाली आय की जाँच करने में विफलता को दर्शाता है।

## 1.10 कर ऋण-असंग्रहीत मांग

**1.10.1** बकाया मांग के संग्रहण और वसूली पर बल देने हेतु अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद अर्थात् निर्धारितियों की चल एवं अचल सम्पत्तियों की कुर्की और बिक्री, निर्धारितियों की सम्पत्तियों और कारावास के प्रबंधन के लिए प्राप्तकर्ता की नियुक्ति, असंग्रहीत मांग<sup>20</sup> बढ़ रही है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त वसूली की शक्तियों के कार्यान्वयन के बावजूद कर मांग लम्बी अवधि तक वसूली नहीं जाती है। निम्नलिखित तालिका 1.11 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 की अवधि के दौरान लम्बित असंग्रहीत मांग के रूझान को दर्शाती है।

<sup>19</sup> स्रोत: कारपोरेट अफेयर मंत्रालय (आर एण्ड ए डिविजन)

<sup>20</sup> स्रोत: सीएपी-1

तालिका 1.11: अंसग्रहीत मांग की स्थिति (₹ करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	पिछले वर्षों के लंबित संग्रहण की मांग	वर्तमान वर्ष की लंबित संग्रहण की मांग	कुल लंबित मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग (प्रतिशत में)
2008-09	93,344	1,07,932	2,01,276	1,87,575 (93.19)
2009-10	1,81,612	47,420	2,29,032	2,12,758 (92.89)
2010-11	2,02,859	88,770	2,91,629	2,71,143 (92.98)
2011-12	2,65,040	1,43,378	4,08,418	3,87,614 (94.91)
2012-13	4,09,456	76,724	4,86,180	4,66,854 (96.02)

स्रोत: मार्च 2013 माह के लिए विश्लेषण सहित सीएपी। मांग एवं संग्रहण विवरण।

सीबीडीटी ने विभिन्न कारणों, अर्थात् वसूली के लिए अपर्याप्त परिसम्पत्तियों, परिसमापन/बीआईएफआर के तहत मामलों, निर्धारितियों का पता न लगना, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा स्थगित मांग आदि जिनके कारण मांग की वसूली दुष्कर बन गई, को आरोपित किया (मार्च 2014)। वसूले न गए राजस्व की स्थिति को प्रत्येक मामलों में कारणों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से निगरानी की जाती है और वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संग्रहणों की सम्भावना का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है।

**1.10.2** कुल लंबित मांग में से विभाग ने दर्शाया कि वि.व. 2012-13 में 96 प्रतिशत से अधिक वसूली के लिए कठिन है। वर्ष के अन्त में लंबित मांग वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान दो गुना से अधिक बढ़ गई थी। सीबीडीटी ने बताया (मार्च 2014) कि बढ़ोतरी को निवृत्त कर संग्रहण, निर्धारितियों की संख्या, समान अवधि के दौरान किए गए निर्धारणों और विभिन्न स्तरों पर दीर्घकालीन मुकद्दमों के संदर्भ में देखा जाये।

**1.10.3** कर भुगतान में चूकों को कर वसूली अधिकारियों (टीआरओज़) को भेजा जाता है जो निर्धारितियों से बकाया देय राशि की मात्रा और राशि की वसूली को शुरू करने के विस्तृत विवरण वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप बनाते हैं। वसूली तंत्र त्रुटिपूर्ण है क्योंकि संग्रहीत किए जाने से रह गई प्रमाणित मांग वि.व. 2008-09 में ₹ 0.27 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2012-13 में ₹ 1.54 लाख करोड़ हो गई थी।

सीबीडीटी ने बताया (मार्च 2014) कि श्रमबल की कमी के साथ अधिक समय लगने वाली प्रक्रियाओं के कारण मांग की वसूली के लिए टीआरओ द्वारा किए गए प्रयासों ने तत्काल परिणाम नहीं दिए।

### 1.11 अभियोजन की प्रास्थिति

निम्न तालिका 1.12, वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 की अवधि के दौरान शुरू किए गए अभियोजनों की प्रास्थिति, निर्णित मामलों अर्थात अभिशंसित, संयोजित और विमुक्त को दर्शाती है।


तालिका 1.12: अभियोजन मामलों की प्रास्थिति					(संख्या)
वित्तीय वर्ष	शुरू किए गए अभियोजन	निर्णित मामलों	अभिशंसित	संयोजित	विमुक्त (प्रतिशत में)
2008-09	162	146	14	13	119 (81.51)
2009-10	312	599	32	291	276 (46.08)
2010-11	244	356	51	83	222 (62.36)
2011-12	209	593	14	397	182 (30.69)
2012-13	267	164	15	96	53 (32.32)

स्रोत: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अभियोजन मामलों में विमुक्तियों में वि.व. 2008-09 में 81.51 प्रतिशत से वि.व. 2012-13 में 32.32 प्रतिशत तक की तीव्रता से गिरावट आई। तथापि, अभिशंसा के मामलों में वि.व. 2008-09 में 14 से वि.व. 2010-11 में 51 तक की बढ़ोतरी हुई और वि.व. 2012-13 में 15 तक की तीव्र गिरावट आई। इसके अलावा, 31 मार्च 2013 तक बकाया अभियोजन मामलों की कुल संख्या 3,182 थी।

### 1.12 संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

1.12.1 चार्ट 1.4 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान संवीक्षा निर्धारणों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। निपटान हेतु लंबित निर्धारण वि.व. 2011-12 में 4.1 लाख से घटकर वि.व. 2012-13 में 2.8 लाख तक हो गए।



### 1.13 अपील मामलों के निपटान

1.13.1 निम्न तालिका 1.13 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान सीआईटी(अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है। सीआईटी(ए) में लंबित अपीलों में वि.व. 2011-12 में 75.3 प्रतिशत से वि.व. 2012-13 में 70.1 प्रतिशत तक की कमी आई।

## 2014 की प्रतिवेदन सं. 10 (प्रत्यक्ष कर)

अपील मामलों में अवरूद्ध राशि में भी वि.व. 2008-09 में ₹ 1.99 लाख करोड़ से वि.व. 2012-13 में ₹ 2.6 लाख करोड़ (भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटा के 66.3 प्रतिशत के बराबर) तक की बढ़ोतरी हुई।

तालिका 1.13: सीआईटी (ए) द्वारा अपील मामलों का निपटान (₹ करोड़ में)					अपीलों में अवरूद्ध राशि
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया अपीलें	निपटाई गई अपीलें	लंबित अपीलें	प्रतिशतता में लम्बन	
	(संख्या लाख में)				
2008-09	2.24	0.66	1.58	70.4	1,99,101
2009-10	2.61	0.80	1.81	69.4	2,20,148
2010-11	2.58	0.70	1.88	72.6	1,98,088 <sup>21</sup>
2011-12	3.06	0.76	2.30	75.3	2,42,182
2012-13	2.84	0.85	1.99	70.1	2,59,556

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तंत्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

**1.13.2 उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय) पर अपीलों में अवरूद्ध राशि 31 मार्च 2012 को 65,803 मामलों में ₹ 1.63 लाख करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2013 को 69,714 मामलों में 1.52 लाख करोड़ थी।**

### 1.14 प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों का निपटान

**1.14.1 निम्न तालिका 1.14 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों के निपटान एवं लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है। निपटान के लिए लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदायों की संख्या में वि.व. 2011-12 में 12.5 लाख से वि.व. 2012-13 में 11.2 लाख तक की गिरावट आई।**

तालिका 1.14: प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों का निपटान (संख्या लाख में)				प्रतिशतता में लम्बन
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया प्रत्यक्ष प्रतिदाय	निपटान किए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय	लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदाय	
2008-09	42.2	26.7	15.5	36.7
2009-10	48.0	28.6	19.4	40.4
2010-11	59.9	40.4	19.5	32.6
2011-12	52.8	40.3	12.5	23.7
2012-13	38.8	27.6	11.2	28.8

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तंत्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

21 विभाग ने आरम्भ में ₹ 2,93,548 करोड़ के रूप में ऑकड़ों की सूचना दी। तदनन्तर, संसद में 2011-12 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 27 के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, सीबीडीटी ने ₹ 1,98,088 करोड़ के रूप में इस ऑकड़े की सूचना (मार्च 2014) दी।

**1.14.2** सरकार ने 2012-13 में ₹ 83,766 करोड़ का प्रतिदाय किया जिसमें ब्याज के ₹ 6,666 करोड़ (8.0 प्रतिशत) शामिल हैं। 2011-12 में प्रतिदायों पर किया गया ब्याज भुगतान ₹ 6,486 करोड़ था (प्रतिदाय की गई राशि ₹ 93,814 करोड़ का 6.9 प्रतिशत)।

### **1.15 आयकर विभाग की नीतिगत योजना (2011-15)**

**1.15.1** विभाग ने 2011-15 के दौरान मापयोग्य लक्ष्यों और कार्यकलापों के साथ परिदृश्य 2020 नामक नीतिगत योजना तैयार की। अन्य बातों के साथ-साथ कार्रवाई योग्य बिन्दुओं में कर आधार का आँकलन और राजस्व पूर्वानुमान मॉडल को विकसित करना, कर निःसरण पर अध्ययन शुरू करना, शोध यूनिट की स्थापना करना, डाटा वेयरहाऊस और व्यापार आसूचना मॉडल विकसित करना, अन्तर्राष्ट्रीय कराधान एवं निगरानी में पहल करना शामिल है।

**1.15.2** प्रधानमंत्री ने सितम्बर 2009 में भारत में सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लिए “निष्पादन निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली” (पीएमईएस) हेतु नए तंत्र का अनुमोदन किया। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक केन्द्र सरकार/विभाग से परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आएफडी) तैयार करना अपेक्षित है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में उच्च सशक्त समिति ने आरएफडी प्रणाली के चरण III में राजस्व विभाग के अन्तर्गत जवाबदेही तंत्रों को शामिल करने का निर्णय लिया (मार्च 2011)। तदनुसार, आयकर विभाग ने वि.व. 2012-13 के लिए अपने आरएफडी तैयार की। आरएफडी में सीबीडीटी ने करदाता सेवाओं के लिए करदाता की सेवा को बढ़ाने और आईटी समर्थ सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु आयकर विभाग में आयकरदाताओं के साथ बेहतर सम्प्रेषण, बेहतर प्रबंधन और मानव संसाधनों के विकास पर फोकस करने का विचार किया है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीबीडीटी ने मौजूदा रिक्तियों को भरने, उचित प्रशिक्षण प्रदान करने, बेहतर अवसंरचना का सृजन करने और करदाताओं को शिक्षित करने का प्रस्ताव रखा है।

### **1.16 आयकर विभाग की आईटी पहलें**

**1.16.1** प्रभावी योजना के सहित कर आधार को भी विस्तारित करने के प्रति कर प्रशासन की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार और प्रबंधन को विश्वसनीय और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयकर विभाग (आईटीडी) ने 1980 के दशक के प्रारम्भ में कम्प्यूटीकरण आरंभ किया जिसने विशिष्ट कार्यात्मकताओं को लक्षित किया। 1993 तक, आयकर

विभाग के पास व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम (सीसीपी) के तहत अधिक विस्तृत सीमा कम्प्यूटीकरण रोड मैप था। आयकर विभाग ने समय-समय पर निर्धारित सूचना प्रणाली (एआईएस), निर्धारण सूचना प्रणाली (एसटी), ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओलटास), इलेक्ट्रॉनिक्स कर कटौती प्रणाली (ई-टीडीएस), व्यक्तिगत चालू खाता लेखांकन प्रणाली (इरला), कम्प्यूटर सहायता संवीक्षा प्रणाली (सीएसएस) और आयकर विभाग के कार्यकारी क्षेत्रों के लिए कार्यान्वयन सूचना प्रणाली (ईआईएस) जैसे अधिक आईसीटी अनुप्रयोग प्रारम्भ किए हैं। इसके अतिरिक्त, पे रोल प्रणाली (पीएस), श्रमबल प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस), न्यायिक संदर्भ प्रणाली (जेआरएस), वित्तीय संसाधन प्रणाली (एफआरएस), प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) जैसे बहुत से दूसरे आंतरिक प्रबंधन और हाऊसकीपींग मॉड्यूल भी कार्यरत हैं।

**1.16.2** आयकर विभाग ने समस्त भारत की ई-फाईल्ड विवरणियों और कर्नाटक तथा गोवा की पेपर विवरणियों को संसाधित करने के लिए बेंगलूरु में एक केन्द्रीय संसाधन केंद्र (सीपीसी) स्थापित किया था। इस सीपीसी ने अक्टूबर 2009 में परिचालन शुरू किया। आयकर विभाग ने पुणे (महाराष्ट्र), मानेसर (हरियाणा) में प्रत्यक्ष आईटीआरज़ के संसाधन हेतु दो अतिरिक्त सीपीसीज और गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में टीडीएस विवरणियों के संसाधन हेतु एक सीपीसी को शुरू करने की योजना बनाई।

**1.16.3** हमने आयकर विभाग में आईटी अनुप्रयोगों से संबंधित 2012-13 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 23 में आयकर विभाग के अनुप्रयोगों (एसटी, ओलटास, ई-टीडीएस एवं इरला) के चार मॉड्यूलों पर टिप्पणी की थी। पीएस ने भी 2013-14 के दौरान इस रिपोर्ट पर चर्चा की थी। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित हैं।

**1.16.4** विभाग ने आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) नाम वाली एक अलग से परियोजना का उत्तदायित्व लिया है जिसके साथ इसने विद्यमान आयकर अनुप्रयोगों की नई संरचना और रूपरेखा में पुनः लिखने की योजना बनाई है। यह परियोजना प्रत्यात्मक स्तर पर है और इसके अप्रैल 2015 तक पूरे होने की संभावना है। एसटी प्रणाली में संवीक्षा आदेशों की अपलोडिंग के प्रति विभाग की पहल को वि.व. 2011-12 से अनिवार्य बना दी गई थी। अब, सभी एओज़ के लिए केवल एसटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से संवीक्षा निर्धारणों के आदेशों को पारित करना अपेक्षित है।



### 1.17 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

**1.17.1** आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसोधित किए जा रहे हैं।

**1.17.2** विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के उद्देश्यात्मक सैटअप और प्रभाव रखने के लिए जून 2007 में एक नई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली प्रारम्भ की, जबकि निर्धारण कार्य और लेखापरीक्षा कार्य विभिन्न विशेषीकृत विंग को दिए गए। प्रत्येक सीआईटी (लेखापरीक्षा) के अन्तर्गत एक अतिरिक्त सीआईटी होना चाहिए जो उच्च स्तरीय मामलों की आन्तरिक लेखापरीक्षा और उप/सहायक सीआईटी की अध्यक्षता में विशेष लेखापरीक्षा पार्टी (एसएपी) और आईटीओज़ की अध्यक्षता में आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टी (आईएपी) के लेखापरीक्षाकार्य के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्येक अतिरिक्त सीआईटी, एसएपी और आईएपी द्वारा एक वर्ष में लेखापरीक्षा किए गए मामलों की न्यूनतम संख्या क्रमशः 50,300 और 1,300 (600 निगमित मामलें और 700 गैर-निगमित मामलें) होने चाहिए।

**1.17.3** आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की कार्यक्षमता के आधार पर वि.व. 2012-13 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा 2,65,200 मामलों की लेखापरीक्षा की गई थी। इनमें से 67.83 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 1,79,872 मामले पूरे किए गए। तालिका 1.15 वि.व. 2008-09 से वि.व. 2012-13 तक प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

तालिका 1.15: जोड़े गए, निपटान किए गए और लंबित लेखापरीक्षा (₹ करोड़ में)						
निष्कर्षों का विवरण						
वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान निपटान किए गए		वर्ष के दौरान लम्बित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2008-09	9,068	1,951.64	2,866	334.47	21,299	3,404.15
2009-10	14,577	1,224.81	6,434	657.58	29,442	3,971.37
2010-11	13,494	5,466.88	7,996	921.85	34,940	8,516.40
2011-12	13,771	1,879.85	14,148	1,118.49	34,563	9,277.76
2012-13	18,275	4,135.48	16,626	2,736.12	36,212	10,677.12

स्रोत: निदेशालय आयकर (आयकर एवं लेखापरीक्षा), नई दिल्ली

**1.17.4** आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों का लम्बन पिछले पाँच वर्षों के दौरान 1.7 गुणा से अधिक है। आंतरिक लेखापरीक्षा पर विभागीय प्रतिक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में निर्धारण अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत मुख्य निष्कर्षों<sup>22</sup> में ₹ 13,268.29 करोड़ के कर प्रभाव वाले 16,549 मामलों में से ₹ 2,709.98 करोड़ (20.42 प्रतिशत) के कर प्रभाव वाले केवल 4,351 मामलों (26.24 प्रतिशत) पर कार्रवाई की गई थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 में ₹ 3,404.2 करोड़ के कर प्रभाव वाले 21,299 मामलों में से वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 10,677.1 करोड़ के कर प्रभाव वाले 36,212 मामलों की कुल लम्बन वृद्धि हुई।

**1.17.5** इसके अतिरिक्त, हमें आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में की गई लेखापरीक्षा में निर्धारणों में कई कमियों का पता लगा। वित्तीय वर्ष 2012-13 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित 3,872 निर्धारणों में हमने गलतियों को इंगित किया जिनका उनके द्वारा पता नहीं लगाया गया था। यह आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

**1.17.6** इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल 459 पैराग्राफों में से आंतरिक लेखापरीक्षा ने 51 मामलों (11.1 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की लेकिन ऐसी गलतियों को नहीं खोजा जो आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता की तरफ संकेत करती है।

---

<sup>22</sup> आयकर में एक लाख और दूसरे करों में 30,000 से अधिक पर लेखापरीक्षा आपत्ति